(04)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए) 67/1819

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या 142517 अव 15/5/18

सेवा में, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

लोक सूचना पदाधिकारी (विभाग/कार्यालय) सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना

1. आवेदक का नाम फखरूद्दीन अली अहमद महासचिव
2. पूरा पता बिहार राज्य पथ एवं भवन निर्माण विभाग कर्मचारी यूनियन (गोपगुट), राज्य कार्यालय:-महासंघ गोपगुट का राज्य कार्यालय, पुनाईचक बेली रोड रेलवे हाल्ट, पटना-23
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, के पत्रांक 3420 दि० 31.12.15 एवं कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल अररिया का पत्रांक 520 दि० 29.12.15 एवं लोक सूचना पदाधिकारी, रा० उ० पथ प्रमंडल, अररिया (छाया प्रति संलग्न) के संबंध में निम्न सूचना दी जाय:-

(1) श्री शीतल रंजन, निम्नवर्गीय सहायक लिपिक के पास अवस्थित नियमित कनीय अभियंता के प्रभार का आदान-प्रदान अभी तक नहीं होने जाने के कारणों की जानकारी दी जाय।

(2) प्रभार-आदान प्रदान करने में विफल कनीय अभियंता के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाय।

(3) श्री रंजन का प्रभार विभाग द्वारा कब तक कराया जायेगा इसकी जानकारी दी जाय।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/~~करती~~ हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने .... रुपये (शब्दों में) .... तिथि .... को रसीद सं० .... से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

552 / सू०का०(अ०) 16.5.18

(2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं० .... दिनांक .... जो .... पदाधिकारी के पक्ष में .... बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने I.P.O. No. 38 F 465805 रुपये की ~~नन जुडिशियल स्टाम्प~~ इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

सू०का० 16.5.18

548 16/05/18

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता : उपरोक्त।

Fakruddin Ali Ahmad

आवेदक का हस्ताक्षर 24/4/18

ई-मेल पता, अगर कोई हो;

दूरभाष संख्या

स्थान : पटना तिथि : 24/4/18

नोट :-गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

16/5

मुख्य अभियंता का कार्यालय
राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

(03)

पत्र संख्या-रा0उ0प0-25/विविध-01-85/2015 3420 पटना, दिनांक- 21/12/15

प्रेषक-

राम अवधेश कुमार
मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, प0नि0वि0, बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्री उमेश कुमार
कनीय अभियंता
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया।

विषय: श्री शोताव रंजन, निम्न वर्गीय पत्राचार लिपिक, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया से प्रभार लेने के संबंध में।

प्रसंग: कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया का ज्ञापांक-420 दिनांक-01.10.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र जो अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल पूर्णियाँ को सम्बोधित है, के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रमंडलीय कार्यालय के पत्रांक-374 दिनांक-02.09.2015 एवं पत्रांक-342 दिनांक-02.08.2015 द्वारा श्री शोताव रंजन, निम्नवर्गीय पत्राचार लिपिक, जिनके पास पथ प्रमंडल, गोपालगंज से Tools and Plant का प्रभार लेने हेतु आपको आदेश दिया गया था, लेकिन आपके द्वारा प्रभार नहीं लिया जा रहा है और अनावश्यक रूप से आपके द्वारा पत्राचार कर विभाग को गुमराह किया जा रहा है। आपके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की जा रही है। यह आपके विरूद्ध अनुशासनहीनता का मामला बनता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि श्री शोताव रंजन, निम्नवर्गीय पत्राचार लिपिक का सम्पूर्ण प्रभार तीन दिनों के प्राप्त करना सुनिश्चित करें, तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें।

विश्वासभाजन

21/12/15

(राम अवधेश कुमार)
मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3420 दिनांक- 21/12/15

प्रतिलिपिः कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया/श्री शोताव रंजन, निम्नवर्गीय लिपिक, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि जबतक श्री शोताव रंजन, निम्नवर्गीय पत्राचार लिपिक का सम्पूर्ण प्रभार श्री उमेश कुमार, कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया द्वारा प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तबतक श्री उमेश कुमार कनीय अभियंता का वेतन भुगतान स्थगित रखा जाय।

श्री रंजन अपना प्रभार श्री उमेश कुमार कनीय अभियंता को सौंपने में सार्थक पहल करेंगे।

21/12/15

मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्र0प0उ0

RIGHT TO INFORMATION

(02)

पत्रांक– 15 अउप, दिनांक– 18.01.2016

प्रेषक : **लोक सूचना पदाधिकारी,**
रा0उ0 पथ, प्रमंडल अररिया।

सेवा में,

श्री फकरूद्दीन अली अहमद,
महासचिव, बिहार, पटना।
राज्य पथ एवं भवन निर्माण विभाग,
कर्मचारी यूनियन (गोप गुट) बिहार, राज्य
कार्यालय महासंघ, बेली रोड रेलवे हॉल्ट,
पुनाई चक, पटना–23।

विषय : **सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना भेजने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में आपके द्वारा मॉगी गई सूचना के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता, रा0उ0 पथ, उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3420 दिनांक–21.12.2015 के आलोक में श्री उमेश कुमार, कनीय अभियंता का वेतन स्थगित किया जा चुका है। की गई कार्रवाई की छायाप्रति संलग्न की जाती है।

सूचनार्थ प्रेषित।

अनु. यथोपरि

विश्वासभाजन

18.1.15

लोक सूचना पदाधिकारी,
रा0उ0 पथ, प्रमंडल अररिया।

18/1/16

(07)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया।

पत्रांक:-..520...../ दिनांक-29/12/2015

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
रा0उ0 पथ प्रमंडल,
अररिया।

सेवा में,

श्री उमेश कुमार,
कनीय अभियंता
रा0उ0प0 प्रमंडल अररिया।

विषय::- श्री शोताव रंजन, निम्नवर्गीय पत्राचार लिपिक से नव सृजित, रा0उ0 पथ प्रमंडल, अररिया का प्रभार ग्रहण हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना करने के परिणाम स्वरूप वेतनादि भुगतान की कार्रवाई स्थगित करने के संबंध में।

प्रसंग::- इस कार्यालय का पत्रांक-309 दिनांक-24.07.2015, पत्रांक-342 दिनांक-12.08.2015 एवं पत्रांक-374 दिनांक-02.09.2015 एवं मुख्य अभियंता, रा0उ0 पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग बिहार पटना का पत्रांक-3420 दिनांक-21.12.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्रों के द्वारा बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से आदेशित किये जाने के बावजूद आपके द्वारा श्री शोताव रंजन का प्रभार ग्रहण नहीं किया जा रहा है, जो उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छा चरिता को दर्शाता है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त उच्चाधिकारियों से विमर्श के अलोक में श्री रंजन का अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है, तथा उनके पास लंबित प्रभार (उपस्कर आदि) के लिए आप पूर्ण रूपसे जिम्मेवार होगें। साथ ही पूर्व में दिये गये आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं मुख्य अभियंता रा0उ0 पथ, उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के आदेशानुसार माह दिसम्बर 2015 से आपके द्वारा श्री शोताव रंजन का प्रभार ग्रहण करने तक आपका वेतन स्थगित रहेगा। अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करने के उपरान्त उक्त स्थगन आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायगा।

विश्वासभाजन

28.12.15

कार्यपालक अभियंता,
रा0उ0 पथ प्रमंडल
अररिया।

28/12/15

(05)

नि० 21/2ए1
कृ० उप० प्रेषित
नि० 18/5

प्रपत्र 'ङ'

(नियम 4 (2) देखें)

अन्य प्राधिकार से संबंधित आवेदन का स्थानान्तरण

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः–लो.सू.को./आई.डी.सं.–67/18–19 3421(E) **पटना, दिनांक–** 18/5/18

प्रेषकः

शैलेन्द्र कुमार
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)–सह–लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
रा०उ०प० उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

महाशय,

श्री फकरूद्दीन अली अहमद, का सूचना आवेदन दिनांक–24.04.2018, जो इस विभाग में दिनांक–15.05.2018 को प्राप्त हुआ है (**आई0डी0 सं0–67/18–19**) निम्न कारणों से संलग्न किया जाता हैः–

याचित सूचना आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है, अतः अधिनियम की धारा–6(3) के अनुपालन में इसे आवश्यक कार्यार्थ आपको स्थानान्तरित किया जाता है। अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
17.5.18
(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञापांक 3421(E) पटना, दिनांक 18/5/18

प्रतिलिपिः– **श्री फकरूद्दीन अली अहमद,** महासचिव, बिहार राज्य एवं भवन निर्माण कर्मचारी यूनियन (गोप गुट), राज्य कार्यालय, महासंघ, गोप गुट का राज्य कार्यालय, पुनाईचक, बेली रोड, रेलवे हॉल्ट, पटना–800023 **(आवेदक)।**

चूँकि माँगी गई सूचना से संबंधित आपका आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसे क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले लोक सूचना पदाधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उल्लिखित लोक सूचना पदाधिकारी से संपर्क करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

17.5.18
(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग
कम्प्यूटरीकृत निर्गत
प्रपत्र सं० 3384
दिनांक- 21-5-18

D:\Shri S. Kumar Kosang\R.T.I. FOLDER TILL-2018\PRAPTRA LETTER\praptra. Anga.docx